2 5/17 पत्रावली पेश हुई /पक्षीय बनी /पत्रावली सहित पीठासीन अधिकारी पुनः / अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17.7.17 को पेश हो।

17 7/17 पत्रावली पेश हुई /पक्षीय बनी /पत्रावली सहित पीठासीन अधिकारी पुनः / अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10.10.17 को पेश हो।

10 10/17 पत्रावली पेश हुई /पक्षीय बनी /पत्रावली सहित पीठासीन अधिकारी पुनः / अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27-12-17 को पेश हो।

27 12/17 पत्रावली पेश हुई /पक्षीय बनी /पत्रावली सहित पीठासीन अधिकारी पुनः / अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20.4.18 को पेश हो।

20 4/18 पत्रावली पेश हुई /पक्षीय बनी /पत्रावली सहित पीठासीन अधिकारी पुनः / अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 3.5.18 को पेश हो।

3 5/18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत नाथ आपके द्वारा अभियान कैम्प भादवासी में पेश हुई। मूल वाद- बेदखली का होने के कारण प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर पक्षकारों को पाबन्द किया जाता है कि तादोरान वाद रकबा रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। — पत्रावली के साथ मूल नामान्तरण का है, रेकार्ड दफ्तर दफ्तर दाखिल है। निर्णय अन्तर कैम्प कोर्ट में मजमूआत में सुनाया जाता।

(जूही भार्गव)
प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
सीकर

बनवारी लाल बरवड़ (अधिवक्ता)
सदस्य राजस्व लोक अदालत
उपखण्ड, सीकर